



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 29.07.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 265/2025 धारा 103(1) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.07.2025 को वादिया सोफिया पत्नी युनुस निवासी अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.07.2025 को वादिया के बहनौई नजाकत पुत्र अब्दुल गनी निवासी उपरोक्त ने अपनी पत्नी साहिबा को धारधार हथियार से वार कर घायल कर दिया,जिसें तत्काल उपचार हेतु सीएचसी समीपुर ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान साहिबा उपरोक्त की मृत्यु हो गई ।



इस संबंध में तहरीर के आधार थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0-265/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 29.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग सें संबंधित अभियुक्त नजाकत पुत्र अब्दुल गनी निवासी ग्राम अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल चाकू सहित गिरफ्तार किया गया तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नजाकत पुत्र अब्दुल गनी निवासी ग्राम अलीपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरी0 धीरज सिंह सोलंकी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 अनीस अहमद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 3.हे0का0 राजीव खौखर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
- 4.का0 2131 सुभाषचन्द थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 29.07.2025

थाना नजीबाबाद पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 457 / 24 धारा 376 / 313 / 406 / 323 / 504 / 506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.09.2024 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त साजिद हुसैन पुत्र इरशाद निवासी ग्राम धनसीनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ने वादिया को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बनाये व मारपीट की गयी, वादिया के गर्भवती होने पर गर्भपात कराया तथा वादिया की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वादिया से पैसे हडप लिये। अभियुक्तगण 1. अजयदार पुत्र इरशाद 2. मैमूना पत्नी इरशाद 3. शमाना पत्नी वकार निवासीगण ग्राम धनसीनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादिया को धमकाया गया। तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 457 / 24 धारा 376 / 313 / 406 / 323 / 504 / 506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण अजयदार, मैमूना व शमाना उपरोक्त की नामजदगी झूठी पायी गयी।



कार्यवाही—

आज दिनांक 29.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साजिद हुसैन पुत्र स्व0 इरशाद निवासी ग्राम धनसीनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. साजिद हुसैन पुत्र स्व0 इरशाद निवासी ग्राम धनसीनी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास—

1—मु0अ0सं0 457 / 24 धारा 376 / 313 / 406 / 323 / 504 / 506 भादवि थाना नजीबाबाद।

2—मु0अ0सं0 591 / 24 धारा 281 / 125ए / 351(4) बीएनएस थाना नजीबाबाद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 सुभाष राणा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2. आरक्षी 62 अंकित थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3. आरक्षी 35 ओम सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 29.07.2025

थाना मण्डावर पुलिस ने मु0अ0सं0 158/25 धारा 137(2)/352/87/64(1) बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 25.07.2025 को वादी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि विपिन पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर वादी की 17 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। इस सम्बंध में वादी द्वारा जानकारी करने पर विपिन के परिजनों द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच की गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 158/25 धारा 137(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87/64(1) बीएनएस व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही –

आज दिनांक 29.07.2025 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विपिन पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विपिन पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम काजीवाला थाना मंडावर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 158/25 धारा 137(2)/87/64(1)/352 बीएनएस व ¾ पॉक्सो एक्ट थाना मंडावर बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सरोज थाना मण्डावर जनपद बिजनौर।
- 2.उ0नि0 श्री आदेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर।
- 3.कां0 2375 उपेन्द्र मलिक थाना मंडावर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 29.07.2025

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 414/25 धारा 318(4)/336(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.07.2025 को वादी द्वारा थाना चांदपुर पर दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्त आरिफ पुत्र फारुख अंसारी निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के विरुद्ध थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 414/25 धारा 296/352/351(2)/123/64(1)/318(4)/336(3) बीएनएस व 03 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था । जिसमें दिनांक 24.07.2025 को अभियुक्त आरिफ उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।



कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में अभियुक्त रियाज पुत्र रियासत हुसैन निवासी मौ0 चाहसंग थाना चांदपुर जनपद बिजनौर का नाम भी प्रकाश में आया, जिसे आज दिनांक 29.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

रियाज पुत्र रियासत हुसैन निवासी मौ0 चाहसंग कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 414/25 धारा 318(4),336(3) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रशान्त कुमार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.कां0 1116 अवनीश कुमार थाना चादपुर बिजनौर ।
- 3.कां0 585 सौरभ पंवार थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर ।